

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवंबर, 2015

सा.का.नि.912(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय में संयुक्त निदेशक प्रवर्तन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, संयुक्त निदेशक प्रवर्तन, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संयुक्त निदेशक प्रवर्तन	33* पद (2015)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 ₹0 +(ग्रेड वेतन 7600)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।					
--	--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और साठ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) द्वारा

(11)

प्रोन्नति:

वेतन बैंड-3, 15600-39100 ₹0 +ग्रेड वेतन 6600 में ऐसे उप निदेशक प्रवर्तन जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; जिसके न हो सकने पर

वेतन बैंड-3, 15600-39100 ₹0 +ग्रेड वेतन 6600 ₹0 में ऐसे उप निदेशक प्रवर्तन जिन्होंने वेतन बैंड-2 में, 9300-34800 ₹0 +ग्रेड वेतन 5400 की श्रेणी में सहायक निदेशक प्रवर्तन और उप निदेशक प्रवर्तन की श्रेणी में दस वर्ष संयुक्त नियमित सेवा की हो और जिसमें से उप निदेशक प्रवर्तन के रूप में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रू. +ग्रेड वेतन 6600 रू. या समतुल्य में की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास दस वर्ष का अनुभव हो जिसमें आसूचना या अंवेक्षण कार्य और न्यायनिर्णयन या राजवित्तीय से संबंधित अभियोजन कार्य या आपराधिक विधि या वित्त या लेखा या कारपोरेट कार्य के क्षेत्र में छह वर्ष का अनुभव होना चाहिए और प्रशासनिक कार्य में चार वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01, जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतनया वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, जो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 25 के अनुसार चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, - अध्यक्ष	
2. सतर्कता आयुक्त - सदस्य	
3. सचिव, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार में गृह मंत्रालय का भारसाधक - सदस्य	
4. सचिव, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का भारसाधक - सदस्य	
5. सचिव, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार में राजस्व विभाग का भारसाधक - सदस्य	

[फा.सं. ए-12018/3/2011-एडी. ईडी]

संतोष कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2015

G.S.R. 912 (E). — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director of Enforcement in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, namely :-

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Joint Director of Enforcement, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.** — The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** — The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.** — No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Joint Director of Enforcement	33.* (2015)* Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' - Gazetted, Non-Ministerial.	pay band -3. Rs. 15600 - 39100 plus Grade Pay of Rs. 7600/-	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

of promotee.		of the vacancies to be filled by various methods.			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Forty percent by promotion ; and sixty percent by deputation (Including short-term contract).	<p>Promotion :</p> <p>Deputy Director of Enforcement in pay band - 3 Rs. 15600-39100 plus grade pay Rs. 6600 with five years regular service in the grade, Failing which,</p> <p>Deputy Director of Enforcement in pay band - 3, Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 6600/- with ten years combined regular service in the grades of Deputy Director of Enforcement and Assistant Director of Enforcement in pay band 2, Rs. 9300-34800/- plus Grade Pay of Rs. 5400/- and have rendered at least three years regular service as Deputy Director of Enforcement.</p> <p>Note 1.-- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2.-- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised pay scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>Deputation (including short-term contract) :</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions or semi- Government or autonomous bodies or statutory organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the grade</p>	<p>Selection Committee as per section 25 of the Central Vigilance Commission Act, 2003, consists of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Central Vigilance Commissioner – Chairman; 2. Vigilance Commissioners – Members; 3. Secretary to the Government of India, in-charge of the Ministry of Home Affairs in the Central Government - Member ; 4. Secretary to the Government of India, in-charge of the Department of Personnel and Training in the Central Government – Member; 5. Secretary to the Government of India, in-charge of the Department of Revenue in the Central Government - Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

			<p>in pay band-3 Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing ten years of experience, out of which six years shall be in the field of intelligence or investigation work and adjudication or prosecution work relating to fiscal or criminal laws or in finance or accounts or corporate affairs and four years shall be in administrative work.</p> <p>Note 1.-- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.-- Period of Deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term-contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3.-- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application).</p> <p>Note 4.-- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	--	--	--

[F.No.A-12018/3/2011- Ad.ED]
Santosh Kumar, Under Secy.